

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1178]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2014/ज्येष्ठ 12, 1936
No. 1178]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2014/JYAISTHA 12, 1936

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2014

का.आ. 1424(अ).—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाना है:-

आदेश

वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति दिनांक 2 जनवरी, 2013 को भारत का राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 2 जनवरी, 2013 के आदेश संख्या का.आ. 31 (अ) को संशोधित करते हैं, नामतः : ---□

कथित आदेश में, पैराग्राफ 5 के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ को अन्तर्विष्ट किया जाएगा, नामतः : ---

“5क. आयोग आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) और गृह मंत्रालय की दिनांक 4 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 655 (अ) के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन होने पर उत्तरवर्ती अथवा पुनर्गठित राज्यों को उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखेगा और इस अधिसूचना के तहत संदर्भाधीन मामलों के संबंध में उत्तरवर्ती अथवा पुनर्गठित राज्यों के लिए सिफारिशें करेगा।

ह/-

(प्रणव मुखर्जी)

भारत का राष्ट्रपति

नई दिल्ली 2 जून, 2014

[फा सं. 9 (4)-बी (एस)/2014]

डॉ रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

नोट:- प्रमुख अधिसूचना को दिनांक 2 जनवरी, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 31 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
Notification

New Delhi, the 2nd June, 2014

S.O. 1424 (E).—The following Order made by the President is to be published for general information:-

ORDER

In pursuance clause (1) of article 280 of the Constitution, read with the provisions of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to amend the Order number S. O. 31(E), dated the 2nd January, 2013, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd January, 2013, namely: ---

In the said Order, after Paragraph 5, the following Paragraph shall be inserted, namely: ---

“5 A. The Commission shall also take into account the resources available to the successor or reorganized States on reorganization of the State of Andhra Pradesh in accordance with the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014) and the Ministry of Home Affairs notification number S.O. 655 (E) dated 4th March, 2014, and make recommendations, for successor or reorganized States, on the matters under reference in this notification.”.

Sd/-

(PRANAB MUKHERJEE)

PRESIDENT OF INDIA

New Delhi 2nd June, 2014

[F.No.9 (4)-B(S)/2014]

Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, vide notification number S.O. 31(E), dated the 2nd January, 2013.